मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 (फाल्गुन 23, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1 जुलाई, 2009 से दिनांक 30 जून 2010 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा में मंदिर तथा फैक्ट्री की भूमि की अवैध बिक्री होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस की अवैध वसूली किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. वर्ष 2010-2011 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,17,18,19,20,22,23,24,26,27,29,32,33,34,35,37,39,41,42,44,45,47,48,50,52, 58, 61,62,63,64,65,66,67,72,73,74,75,76 तथा 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार, आठ सौ पन्द्रह करोड़, अड़सठ लाख, चौंतीस हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

2 घन्टे

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) का पुरःस्थापन *करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

*** अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**

निर्धारित समय	**6. वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)**		
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 30	ग्रामीण विकास
		मांग संख्या - 34	सामाजिक न्याय
		मांग संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 62	पंचायत
		मांग संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
		मांग संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
		मांग संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
		मांग संख्या - 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग
		मांग संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 10	वन.
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या - 28	राज्य विधान-मंडल
		मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य.
1 घन्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
		मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या - 64	अनुसूचित जाति उपयोजना
1 घन्टा	(6)	मांग संख्या - 5	जेल
		मांग संख्या - 36	परिवहन

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2011